



गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय
(भारत की संसद के अधिनियम सं. 25, 2009 के तहत स्थापित)
CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT
(Established by an Act of Parliament of India, No 25 of 2009)

F.No.9-13/2009-Admn./2405

दिनांक: 06/03/2023

परिपत्र संख्या 28/2022-23

“होली की शुभकामनाएँ”

गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिया जाता है कि विश्वविद्यालय के परिसर/कार्यालय जैसे पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं, व्याख्यान कक्षों, कार्यालयों, छात्रावास, वीएलआरसी इत्यादि में होली खेलना वर्जित है। सभी विश्वविद्यालय की संपत्ति को कोई भी हानि पहुँचाये बिना अनुशासन और शिष्टाचार बनाए रखें।

इ.भा.प.ई.ए.
06/03/23

कुलसचिव (कार्यवाहक)

प्रति (ई-मेल द्वारा):

1. सभी अधिष्ठाता
2. छात्र कल्याण अधिष्ठाता
3. प्रोवोस्ट
4. प्रॉक्टर
5. वित्त अधिकारी (कार्यवाहक)
6. परीक्षा नियंत्रक (कार्यवाहक)
7. सभी उप कुलसचिव एवं सहायक कुलसचिव
8. आंतरिक कार्य विभाग
9. सभी अध्यक्ष/समन्वयक/विभागाध्यक्ष
10. सभी शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारी
11. आईसीटी विभाग- विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
12. छात्र कल्याण अधिष्ठाता कार्यालय - कृपया सभी विद्यार्थियों के मध्य प्रसार करने हेतु।
13. सुरक्षा अधिकारी
14. आचार्य कार्यवाहक पुस्तकालय
15. सभी वार्डन
16. कुलपति सचिवालय- माननीय कुलपति की सूचनाएँ
17. सभी नोटिस बोर्ड, सेक्टर- 29 और 30
18. परिपत्र फाइल

